

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ13(29) खावि./आवंटन/2024-02560

जयपुर, हस्ताक्षर दिनांक

समस्त  
जिला रसद अधिकारी,  
राजस्थान।

**विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के तहत अपात्रों का छटनी अभियान।**  
प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.10.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2017 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन के बिन्दु संख्या 5 के तहत निष्कासन श्रेणी के प्रचार-प्रसार तथा यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से NFSA में से नाम हटाने हेतु प्रोत्साहित करने बाबत् प्रासंगिक पत्र से निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त मापदण्डों के आधार पर अपना नाम NFSA सूची में से हटाना चाहता है, तो संबंधित उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्तानुसार प्राप्त सभी प्रार्थना पत्र संबंधित उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा करवाये जाएंगे। संबंधित उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी प्राप्त प्रार्थना पत्रों की नियमानुसार जांच करते हुए निर्णित करेंगे।

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराये जाने की सुनिश्चितता करें।

(पूनम प्रसाद सागर)  
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य विभाग, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(खाद्य) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं संबंधित को ईमेल कराने बाबत्।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Poonam  
Prasad Sagar  
Designation : Additional  
Commissioner  
Date :08-11-2024 02:02:17

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013

जयपुर, दिनांक 29-09-2017.

आदेश

राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर, 2013 से लागू किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर सम्पूर्ण प्रदेश में प्राथमिकता परिवारों (P.H.H) को सूचीबद्ध किया है। प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु विभिन्न श्रेणियों की अद्यतन अधिसूचना क्रमांक एफ 13(10)(6)खा.वि./खाद्यान्न/2013, दिनांक 20.07.2017 को जारी की गई है। खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रतिमाह लाभान्वित करने हेतु तैयार प्राथमिक सूची में पात्र वंचित व्यक्तियों/परिवारों को जोड़ने व प्राथमिक सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/2013 दिनांक 05.11.2015 द्वारा अपीलीय प्रक्रिया जारी की गई है।

इस अपीलीय प्रक्रिया में सरलीकरण करने के लिए खाद्य विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.11.2015 को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1. खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति/परिवार खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित अपीलीय संलग्न प्रारूप (शहरी/ग्रामीण) में आवेदन करते समय संबंधित श्रेणी जिसमें आवेदक सम्मिलित (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड का क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, लघु कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने का साक्ष्य इत्यादि) है, उसी श्रेणी का दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित (सैल्फ अटैस्टेड) अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि आवेदक खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची में नहीं आता है।
3. संबंधित अपीलीय अधिकारी (उप खण्ड/जिला रसद अधिकारी) आवेदन-पत्र की पूर्ण रूप से जांच करेगा तथा आवेदन पत्र पूर्ण/सही पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा सूची में से ऐसे आवेदक का नाम जोड़ने का तत्काल निर्णय करेगा। परन्तु यदि अपीलीय अधिकारी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न होता है तो वह संतुष्ट होने के पश्चात ही नाम जोड़ने की कार्यवाही कर सकेगा।
4. अपीलीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी) द्वारा अपील आदेश कम्प्यूटर जनरेटेड डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर करने के साथ ही आवेदक का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नाम स्वतः ही (Online) अपडेट हो जायेगा। परन्तु जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं होती है तब तक जिस अधिकारी द्वारा

अपीलीय आदेश जारी किया जाता है, वह अधिकारी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अपडेशन का कार्य पूर्वानुसार जारी रखेंगे। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा के सॉफ्टवेयर में नाम अपडेशन के लिए केवल उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी ही अधिकृत है।


5. खाद्य विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित अपीलीय संलग्न प्रारूप के बिन्दु संख्या 11,12,13,14,15, व 17 अर्थात् कच्ची बस्ती में निवास करने वाले संबंधित परिवार, कचरा बीनने वाले परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं गैर सरकारी सफाईकर्मी, स्ट्रीट वेण्डर व साईकिल रिक्शा चालक आदि श्रेणियों के व्यक्तियों/परिवारों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जायेगा।

6. अपीलीय अधिकारियों (उप खण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी) का दायित्व आवेदन पत्र व उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्र की पूर्णता से जांच करने तक सीमित है। यदि आवेदक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने का प्रकरण भविष्य में सामने आता है, तो ऐसे आवेदक का नाम निरस्त करते हुये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. समस्त अपीलीय अधिकारियों (उप खण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी) को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त बिन्दुओं की पालना करते हुए अपीलीय आवेदन पत्रों का अविलम्ब निष्पत्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

8. समस्त अपीलीय अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी) को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे लाभार्थी परिवार हैं जो एक वर्ष से खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से Delete/No नहीं करना है बल्कि उनको तृतीय श्रेणी Abeyance में रखने का कार्य मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है, ताकि उनके के स्थान पर पात्र परिवारों को जोड़ा जा सके। भविष्य में यदि Abeyance सूची से कोई पात्र परिवार अपना दावा (Claim) करता है, तो तत्समय उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी संतुष्टी के उपरान्त उसका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में हां (YES) कर देगा।

9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से माह में 2 दिवस (द्वितीय एवं चतुर्थ बृहस्पतिवार/गुरुवार) को नियमित रूप से विशेष कैम्प आयोजित करेंगे, इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

  
शासन सचिव (खाद्य)



(ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

## खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन-पत्र

(दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय/जिला रसद अधिकारी,  
उपखण्ड.....

प्रथम अपील :- खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है :-

1. अपीलार्थी .....पुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री .....जाति.....  
.....उम्र.....निवासी ग्राम.....ग्राम पंचायत.....तहसील.....  
.....पंचायत समिति.....का स्थाई निवासी है एवं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है।
2. मुखिया व पूरे परिवार का विवरण :

क्र.स.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ संबंध	लिंग	जन्म दिनांक	राशन कार्ड संख्या	यूनिक आई.डी नं.	भामाशाह कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				स्वयं					
2									
3									
4									
5									

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार है :-

### समावेशन (Inclusion) की प्राथमिकता श्रेणी

- 1 अन्त्योदय परिवार
- 2 बीपीएल परिवार
- 3 स्टेट बीपीएल परिवार
- 4 अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- 5 ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं हैं तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :-
  - A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
  - B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  - C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
  - D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  - E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
  - F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
  - G. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
  - H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
  - I. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
  - J. भूमिहीन कृषक
  - K. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
  - L. सीमान्त कृषक
  - M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो।
- 6 मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
- 7 समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
- 8 एकल महिलाएँ
- 9 श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक

- 10 पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
- 11 कधरा बीनने वाले परिवार
- 12 उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- 13 साईकिल रिक्शा चालक
- 14 पोर्टर (कुली)
- 15 कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- 16 घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियाँ जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, मेड पालक
- 17 दनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
- 18 लघु कृषक
- 19 आरथा कार्डधारी परिवार
- 20 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति

04. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियों.....में अभिलिखित उपवर्ग..... की श्रेणी का व्यक्ति है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज..... संलग्न है।

05. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है—

- A. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
- B. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
- C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।
- D. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- E. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रु० वार्षिक से अधिक हो।
- F. ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।

नोट :- निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

06. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार, जिसका राशन कार्ड संख्या ..... है को ग्राम ..... ग्राम पंचायत..... तहसील..... पंचायत समिति..... में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में समावेशन प्राथमिकता श्रेणी का आदेश जारी करावें। (समावेशन श्रेणी का नाम लिखें)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी का कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने के लिए अधिकतम 15 दिवस का समय और दिया जायेगा।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम-
पिता का नाम-
माता का नाम-
मोबाईल नम्बर-
पता-

शपथ-पत्र/स्वघोषणा

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....

निवासी.....

यह घोषणा करता/करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 के बिन्दु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 6 श्रेणियों में मैं/मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं/मेरा परिवार जांच में निष्कासन की श्रेणियों में शामिल होना पाया जाता है तो मेरें/हमारे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)

दिनांक :

स्थान:

## खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन-पत्र

(दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय/जिला रसद अधिकारी,  
उपखण्ड.....

प्रथम अपील :- खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है :-

1. अपीलार्थी .....पुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री .....जाति.....  
.....उग्र.....निवासी वार्ड संख्या.....नगर पालिका/नगर परिषद.....  
..... का स्थाई निवासी है।
2. मुखिया व पूरे परिवार का विवरण :

क्र.स.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ संबंध	लिंग	जन्म दिनांक	राशन कार्ड संख्या	यूनिक आई.डी नं.	मामाशाह कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				स्वयं					
2									
3									
4									
5									

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में शहरी क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

### समावेशन (Inclusion) की प्राथमिकता श्रेणी

- 1 अन्वयोदय परिवार
- 2 बीपीएल परिवार
- 3 स्टेट बीपीएल परिवार
- 4 अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- 5 ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं हैं तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :-
  - A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
  - B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  - C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
  - D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  - E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
  - F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
  - G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना
  - H. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
  - I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
  - J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो।
- 6 मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
- 7 समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
- 8 एकल महिलाएँ
- 9 श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- 10 पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
- 11 कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वोक्षित परिवार
- 12 कचरा बीनने वाले परिवार

- 13 शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं
- 14 गैर सरकारी सफाई कर्मी
- 15 स्ट्रीट वेण्डर
- 16 उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- 17 साइकिल रिक्शा चालक
- 18 पोर्टर (कुली)
- 19 कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- 20 धुमन्तु एवं अर्द्धधुमन्तु जातियां जैसे बनबागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
- 21 वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
- 22 लघु कृषक
- 23 आस्था कार्डधारी परिवार
- 24 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति

04. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियों.....में अभिलिखित उपवर्ग..... की श्रेणी का व्यक्ति है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज..... संलग्न है।

05. राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है—

- A. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।
- B. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
- C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।
- D. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर)।
- E. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर)।
- F. एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार।
- G. ऐसा परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।

नोट :- निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

06. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार, जिसका राशन कार्ड संख्या ..... है को कार्ड संख्या..... नगर पालिका/नगर निगम..... तहसील..... में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए समावेशन प्राथमिकता श्रेणी..... का आदेश जारी करावे।  
(समावेशन श्रेणी का नाम लिखें)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी का कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने के लिए अधिकतम 15 दिवस का समय ओर दिया जायेगा।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम—
पिता का नाम—
माता का नाम—
मोबाइल नम्बर,
पता—

शपथ-पत्र / स्वघोषणा

मैं.....पुत्र / पत्नी श्री.....

निवासी.....

यह घोषणा करता / करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 के बिन्दु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 6 श्रेणियों में मैं / मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं / मेरा परिवार जांच में निष्कासन की श्रेणियों में शामिल होना पाया जाता है तो मेरे / हमारे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)

दिनांक :

स्थान: